HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1060/2026
CNR: RJHC020544272026 | URN: CRLR / 1946U / 2026

1. Heeralal S/o Kalyan Mali, Aged About 71 Years, R/o Village Rangili Lasadiya, Kekri City, Kekri, Rajasthan.
2. Banti @ Shivraj S/o Heeralal, Aged About 28 Years, R/o Village Rangili Lasadiya, Kekri City, Kekri, Rajasthan.
3. Ramsahay S/o Heera Lal, Aged About 28 Years, R/o Village Rangili Lasadiya, Kekri City, Kekri, Rajasthan.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Nirajn Kumari D/o Hariom Mali, Aged About 27 Years, R/o Village Rangili Lasadiya, Kekri City, Kekri, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Pradeep Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27/07/2026

याचीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका विचारण न्यायालय–**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**21/2026** में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **28.03.2026**, जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा **126(2), 115(2) सपठित धारा 3/5,** 117(2) **सपठित धारा 3/5 एवं धारा 76 सपठित धारा 3/5 भारतीय न्याय संहिता** के तहत आरोप विरचित किये गये थे, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 76 बी0एन0एस0 (धारा 354 भा0दं0सं0) की कोई भी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी आरोप विरचित किए जाने के आदेश दिए हैं। उनका यह भी निवेदन है कि अनुसंधान के दौरान पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में धारा 76 बी0एन0एस0 के संघटक के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दी है, तत्पश्चात् धारा 183 बी0एन0एस0एस0 की साक्ष्य में अपने कथनों में विस्तार किया है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता की लज्जा भंग करने का कोई भी आशय नहीं था, ऐसी स्थिति में धारा 76 बी0एन0एस0 का आरोप नहीं बनता है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2026 को आंशिक रूप से अपास्त किया जाकर याचीगण/अभियुक्तगण को धारा 76 बी0एन0एस0 के अपराध से उन्मोचित (Dis-charge) किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि अनुसंधान के दौरान पीड़िता द्वारा याचीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में स्पष्ट तौर पर पीड़िता के कपड़े फाड़ने की साक्ष्य दी है। उनका यह भी तर्क है कि आरोप विरचित किए जाने के संबंध में विचारण न्यायालय को साक्ष्य का विवेचन सूक्ष्मता से किया जाना आवश्यक नहीं है, उन्हें मात्र यह देखना है कि आरोप विरचित विरचित किए जाने के संबंध में अनुसंधान के दौरान उपलब्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्य आई है अथवा नहीं, जिसके सभी तथ्यों पर विचार करते हुए ही विचारण न्यायालय द्वारा आरोप संबंधी आदेश दिनांक 28.03.2026 पारित कर याचीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए हैं, जो विधि के अनुरूप है, अतः प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया, पत्रावली एवं आलौच्य आदेश का अवलोकन किया, साथ ही अनुसंधान के दौरान अनुसंधान

अधिकारी द्वारा पीड़िता के जो बयान दिनांक 25.11.2024 को अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 लेखबद्ध किए हैं, का भी अवलोकन किया गया, जिससे प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है कि पीड़िता द्वारा उसके कपड़े फाड़ने की साक्ष्य दी है, अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए आदेश पारित किया गया है।

धारा 227 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त पक्ष को आरोपित अपराधों में तभी उन्मोचित किया जा सकता है, जब दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ पेश की गई सामग्री के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मामला आधारहीन (Groundles) पाया जाए, अर्थात पुलिस रिपोर्ट के साथ उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाने पर आरोप विरचित किया जाना वांछनीय है।

इस मामले में विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करते समय विस्तृत आदेश पारित किया है, लेकिन आरोप विरचित करते समय मामले के गुणावगुण पर विस्तार से और गहनता से समीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं है, तथा आरोप के स्तर पर न्यायालय को यह देखना आवश्यक नहीं है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं, बल्कि मात्र यह देखा जाना होता है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं, इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए सकारण आदेश पारित किया है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध पीड़िता के कथनों में याचीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 76 बी0एन0एस0 के अपराध से संबंधित प्रथमदृष्टया साक्ष्य आई है, अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना किन्हीं आधारों के आरोप विरचित किए गए हों। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अनुसंधान के दौरान पत्रावली पर जो प्रथमदृष्टया साक्ष्य आई है, उसके सभी तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर विचार के पश्चात् ही अभियुक्तगण

के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए हैं, जिसमें किसी तरह से कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि दर्शित नहीं हुई है, अतः उक्त आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार याचीगण–अभियुक्तगण **हीरालाल पुत्र श्री कल्याण माली, बंटी उर्फ शिवराज पुत्र श्री हीरालाल एवं रामसहाय पुत्र श्री हीरालाल** की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 438 बी0एन0एस0एस0 अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

साथ ही इस निगरानी याचिका के साथ लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र ध 438/439 सपठित धारा 528 बी0एन0एस0एस0 भी इसी अनुसार अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/63